कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–1

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निकाय क्षेत्र को खुले में शौच प्रथा को रोकने के लिये घर–घर शौचालय का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूर्णता की ओर है। जिन परिवारों के घर पर शौचालय नही बन पाये है एवं आम नागरिकों की सुविधा के लिये सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्र के द्वारा दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था जिसकी समयावधि 03.05.2017 को अंतिम तिथि निर्धारित थी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की लिखित/मौखिक दावा आपत्ति प्राप्त नही हुआ है।

अतः निकाय क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने का संकल्प पारित किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत।

संकल्प –01 प्रकरण प्रस्तृत हुआ विस्तुत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार निकाय को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाता है। इसके बाद भी कोई खुले में शौच करते हुए पाया जाता है तो उसके बिरूद्ध अर्थदड एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही किया जावे का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–2

एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 06.05.2017 के संकल्प/प्रस्ताव कमांक 07 द्वारा 65 नग ट्राईसिकल क्रय के लिये शासन निर्देशानुसार 16.25 लाख रू (25,000.00 प्रति नग) की स्वीकृति प्राप्त है। शासन के पत्र कं. सूडा/09/एम.सी.सी./एस.डब्ल्यू.एम/1273 दिनांक 27.05.2017 के द्वारा जारी आर.एफ.पी. इम्प्लीमेंट ऑफ वेण्डर फॉर सप्लाई ईन ट्राईसिक्ल दिनांक 24.3.2017 अनुसार सूचीबद्ध एजेंसियों से निर्धारित मानक अनुसार समस्त दर परिवहन व्यय सहित राशि 42,000.00 रू प्रति नग की दर से क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अनुसार अतिरिक्त व्यय 11.05 लाख रू है इस प्रकार कुल व्यय 27.30 लाख रू व्यय होना है।

अतः अतिरिक्त व्यय 11.05 लाख कुल 27.30 लाख की वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

<u>संकल्प –02</u> प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार 65 नग ट्राईसिकल क्रय करने पर अतिरिक्त व्यय राशि रू 11.05 लाख इस प्रकार कुल 27.30 लाख रू व्यय की वित्तीय स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया जाता है।

सचिव | महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–3

प्रकरण नस्ति अनुसार 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कार्य निष्पादन अनुदान (वर्ष 2016–17) के लिए सिरसा चौक से उमदा रोड़ की ओर मॉडल रोड़ निर्माण प्राक्कलन रू॰147.16 लाख की निविदा स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य स्थल पर सोमनी से सिरसा चौक होते हुए उमदा रोड़ की ओर ओव्हर ब्रिज निर्माण प्रस्तावित है। जिससे पूर्व स्वीकृति अनुसार कार्य कराया जाना तकनीकी रूप से उचित नहीं है। अतएव उक्त कार्य हेतु पूर्व में आमंत्रित व स्वीकृत ई॰निविदा क्र॰–18321 को निरस्त किया जाना उचित हैं तथा उक्त स्वीकृत राशि व वर्ष 2017–18 के लिए निम्नानुसार कार्यो का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना प्रस्तावित हैः–

1. गौरव पथ से बाम्बे आवास की ओर मॉडल रोड़ निर्माण तथा विद्युतीकरण।
2. उमदा रोड़ से पी॰एम॰वाय॰ स्थल होते हुए कालीमंदिर चरोदा रोड़ तक सड़क निर्माण व विद्युतीकरण ।

उक्तानुसार प्रस्ताव प्रेषित कियें जाने हेतु विचार व निर्णय के लिए प्रस्तुत है।

संकल्प –03 उपरोक्तानुसार स्वीकृत ई–निविदा कमांक 18321 को प्रस्तावित कारणो से निरस्त किया जाता है। उक्त राशि एवं इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त होने वाली राशि से उल्लेखित स्थानो पर प्रस्तावित मार्ग बिन्दु कं. 1 एवं 2 के लियें प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावे स्वीकृति उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जावें का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–4

छ॰ग॰ विकास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भिलाई–चरोदा द्वारा पदुमनगर कॉलोनी का निर्माण व विकास किया गया हैं। उक्त कॉलोनी दस्तावेज अनुसार 31.42 एकड़ में स्थित हैं। उक्त कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएँ नगर पालिक निगम द्वारा न दियें जाने संबंधी आवेदन लगातार प्राप्त हो रहें है। तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहें हैं।

उक्त कॉलोनी को हस्तांतरण हेतु विधिवत प्रस्ताव समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही कॉलोनी के खुले क्षेत्र, E.W.S. भूमि आदि की जानकारी निकाय को हैं अतएव उक्त कॉलोनी के प्राधिकृत अधिकारी से कॉलोनी स्वामित्व के दस्तावेज, रिक्त भू–खण्ड, लेनदारी/देनदारियों की जानकारी, न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी इत्यादि सहित हस्तांतरण की मांग की जाती हैं, तो विचार उपरांत कार्यवाही संभव हैं।

अतएव वर्तमान में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को लिखा जाना उचित हैं प्रकरण पर विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

<u>संकल्प –04</u> प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई, पदुम नगर सोसायटी वर्तमान में भंग है एवं इसमें शासन द्वारा भारसाधक अधिकारी नियुक्त है। भारसाधक अधिकारी से कॉलोनी वासियों को उनकी समस्याएँ हल करने में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। कॉलोनीवासी चाहते हैं कि कॉलोनी को नगर निगम भिलाई–चरौदा में अधिग्रहित किया जावें। नगर निगम भिलाई–चरौदा में किसी भी कॉलोनी को अधिग्रहित करने के लिए नियम बने हुए हैं, जिसके तहत् ही अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त कॉलोनी की संपत्ति/संपदा, ई.डब्ल्यू.एस. हेतु खुली भूमि, मार्ग, पार्क आदि भूमि की दस्तावेज एवं देनदारियों की जाँच के लिये तथा निगम में अधिग्रहण की कार्यवाही कराने के लिए प्रकरण कलेक्टर महो॰ को प्रेषित किया जावे का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

सचिव महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–5

निकाय क्षेत्रान्तर्गत आवारा पुशओं के रखने हेतु शासन द्वारा प्रेषित मॉडल प्राक्कलन अनुसार सर्वसुविधायुक्त कांजी हाऊस निर्माण हेतु निम्नानुसार स्थलों का चयन किया गया हैं :–

1. उमदा प॰ह॰न॰–01, खसरा नं॰–65, रकबा–0.810 हेक्टेयर का भाग ।
2. सिरसाकला प॰ह॰न॰–02, खसरा नं॰–383, रकबा–2.49 हेक्टेयर का भाग।

उक्त स्थलो पर 02 नग कांजी हाऊस निर्माण हेतु रू॰ 69.70 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर को प्रेषित कियें जानें के लिए विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं।

संकल्प –05 प्रकरण प्रस्तृत हुआ विस्तुत चर्चा की गई प्रस्तावित स्थलो पर 02 नग कांजी हाऊस निर्माण हेतु रू॰ 69.70 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर को प्रेषित कियें जानें का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–6

माननीय महापौर एवं माननीय सभापति महोदय हेतु 02 नग नये वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार क्रय किये जाने हेतु Gem Portal में उपलब्ध वाहन के मेक एवं मॉडल निर्धारित किये जाने एवं तद्नुसार अनुमानित व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदाय करते हुये माननीय महापौर एवं माननीय सभापति महोदय 02 नग वाहन क्रय की सक्षम स्वीकृति के लिये शासन को पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प –06

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई सदस्यों द्वारा सुझाया गया कि महापौर के लिये क्रय की गई वाहन (कार) में सीटिंग क्षमता कम होने के कारण एवं ग्रामीण परिवेश अधिक होने के कारण 01 नग बडी (Innova) वाहन क्रय किया जावें एवं नई वाहन क्रय होने के बाद महापौर महोदया की वाहन को सभापति महोदय को आबंटित किया जावें।

01 नग (Innova) वाहन क्रय करने के लिये विशेष प्रकरण मानते हुये शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें का संकल्प सर्वसम्मित से लिया जाता है।

सचिव

महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर– इन –काउंसिंल की बैठक दिनांक 17.08.2017

प्रस्ताव क्रमांक–7

माननीय विधायक श्री सांवला राम डाहरे जी, अहिवारा विधानसभा द्वारा वार्ड कं. 17 एवं 07 के निर्मित उघान का नाम कमशः पं. दीनदयाल उपाध्याय व श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने की अनुशंसा की गई है।

वर्तमान में वार्ड कं. 17 एवं 07 के निर्मित उघानों का नामकरण नही हुआ है।

अतएव वार्ड कं. 17 का उघान पं. दीनदयाल उपाध्याय व 07 का उघान श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प –07

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई वार्ड कं. 17 स्थित उघान को पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर एवं 07 स्थित उघान को श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखे जाने हेतु प्रकरण परिषद् में रखने की अनुशंसा की जाती है का संकल्प सर्वसम्मित से लिया जाता है।

सचिव

महापौर